2014/00012

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 16/2014

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी पंचायत समिति सिवाना		1कालुराम पुत्र पुनमाराम जाति प्रजापत निवासी सिवाना 2.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 90 दिनांक 03.10.2013 जो ग्राम पंचायत, सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः— 1.प्रार्थी अनुपस्थित एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित
3.अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 कालुराम ने सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिवाना की आबादी भूमि में 840 वर्ग फीट भूमि का पट्टा बनाना चाहता हूँ जिसका नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 227 कायम कर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम नियम 156(1) के तहत पट्टा संख्या 90 दिनांक 03.10.2013 को जारी किया। प्रार्थी ने इस विक्रय विलेख पट्टा को गलत एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या संख्या 01 के हक में जारी पट्टा संख्या 90 को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश कीहै।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

...नाथ अधिवक्ता

गई थी। प्रार्थी एंव इनके अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रही।

4. हमने अप्रार्थीगण को सुना। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने निगरानी में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा ग्राम सेवक के फर्जी हस्ताक्षरों से जारी करना बताया है। यदि पट्टा फर्जी हस्ताक्षरों से जारी किया गया है तो इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह नहीं बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा किन–किन नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा विधि विरूद्ध जारी होने से निरस्त करने की इस्तदुआ चाही हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी कालुराम ने ग्राम सिवाना में 640 वर्ग फीट भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। इस आवेदन के साथ नक्शा भी पेश किया गया हैं। जिस पर पत्रावली कायम की गई है। दिनांक 05.04.2012 को मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से घ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 05.08.2013 को निर्धारित प्रपत्र में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया है। नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई है। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् नियम 156(1)(ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है।`नियम 156(1) प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण करने का प्रावधान है। 156(1)(क) के तहत पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये पट्टा जारी कर सकती है जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो। नियम 156(1)ख)जहॉ कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम उस भूमि के निर्वहन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा । इन नियमो के परिपेक्ष्य में विप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

अनुरूप एंव पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एंव बीपीएल चनित होने के आधार पर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। प्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। मगर प्रार्थी बावजूद नोोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में नियम 156(1)(ख) के तहत पट्टा संख्या 90 दिनांक 03.10.2013 जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर